न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 09/2012
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2012/00005

प्रार्थीगण

बनाम

1. राणा पुत्र सोना फौत के कायम मुकाम
   अ. मसराराम पुत्र राणा
   ब. परखाराम पुत्र राणा
   स. दीपा पुत्र राणा
   द. संतोक बेवा राणा
2. लच्छाजी पुत्र सोनाजी फौत के कायम मुकाम
   क. कानाराम पुत्र लच्छाजी
   ख. भगवानाराम पुत्र लच्छाजी
   ग. गुलाबीराम पुत्र लच्छाजी
   घ. भीखाराम पुत्र लच्छाजी
   ड. अर्जुन पुत्र लच्छाजी
   कौम–रेबारी निवासीगण–वालीखेड़ा पांचला, तहसील–सांचौर।

अप्रार्थीगण

1. वेला पुत्र भीमा
2. मीरा देवी पत्नी भाणाजी
3. लीला पुत्री भाणाजी
4. सतरू पुत्री भाणाजी
5. मथरी पुत्री भाणाजी
6. संतोक पुत्री भाणाजी
7. गोमती पुत्री भाणाजी कौम–कलबी, निवासीगण वाली खेडा पांचला तहसील–सांचौर।
8. सवा पुत्र धर्मा
9. जाला पुत्र धर्मा
10. समू बेवा धर्मा फौत
11. रता पुत्र नवा फौत के कायम मुकाम
    अ. दरगा पुत्र रता नाऔलाद फौत
    ब. तुलसा पुत्र रता फौत के कायम मुकाम
    क. राणाराम पुत्र तुलसा
    ख. विक्रम पुत्र तुलसा
12. वचना पुत्र चिमना
13. सांवला पुत्र राजा कौम–राजपूत निवासीगण–वालीखेड़ा तहसील–सांचौर
14. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 25 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19

तारीख रजु :– 06.06.2012

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 से 13 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
4. अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः– 23.05.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के ग्राम बालीखेड़ा पटवार क्षेत्र पांचला तहसील सांचौर के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 02 रकबा 4.05 हैक्टर चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 6 रकबा 1.81 हैक्टर चाही सोयम जाव सोयम, के आये हुये है जो प्रार्थीगण के बन्ट व कब्जा काश्तसुदा है उक्त खेतो मे प्रार्थीगण के आने–जाने के लिए आवागमन हेतु खसरा नं 25 जो सरकारी रास्ता, खसरा नम्बर 33 व 26 नजरी नक्शा माफिक रास्ता चलता है, परन्तु उक्त भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी मे है, जो आगे प्रार्थीगण के खातेदारी को जोड़ता है। अतः रास्ते की भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण के उक्त खेत ग्राम बालीखेडा में होने से प्रार्थीगण के खेत मे जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता सरहद मौजा बालीखेड़ा पटवार हल्का पांचला के खसरा नम्बर 33 व खसरा नम्बर 26 मे से धारा 251ए के प्रावधानो के अनुसार रास्ता दिलाया जावें। यही दोनो खसरे प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत व रास्ते के बीच में पड़ते है। तथा मौके पर रास्ते के रूप में ही मौजूद है लेकिन उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम से होने से हमेशा हक जताते रहते है। ऐसी सुरत में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 6 व 2 सरहद मौजा बालीखेड़ा मे आवागमन के लिए ग्राम बालीखेड़ा में स्थित खेत खसरा नम्बर 33, 25 व 26 नजरी नक्शा अनुसार जो निकटतम व धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनरूप है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त मौजा बालीखेड़ा के खेत खसरा नम्बर 2 व 6 में आवागमन हेतु अप्रार्थी [illegible] खसरा नम्बर 33 व 25 में नजरी नक्शा अनुसार नाप करवायी [illegible] में दर्ज कर उसी माफिक राजस्व नक्शा में तरमीम करने का [illegible] करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:07 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से लंबे समय से जवाब पेश नहीं करने पर जवाब

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 13 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना—पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा, एवं भू अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.2024 का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया।

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :— 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग [illegible] तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस [illegible] धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक [illegible] को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, एक [illegible] प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा नम्बर 02 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 1.81 हैक्टर में पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है परंतु भू अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 2 व 6 हेतु नवीन मार्ग की मांग की गई है प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग व नजरी नक्शा अनुसार वर्तमान में खसरा नं. 33 में ढ़ाणी बनी हुई है। वर्तमान में मौका फर्द में बनाये गये नजरी नक्शा में सरकारी रास्ता खसरा सं. 25 से खसरा नं. 33 में से खसरा नं. 35 में जाने हेतु बिन्दु सी से डी खातेदारी रास्ता प्रयोग में आ रहा है। खसरा नं. 35 जो गैर मुमकिन ढ़ाणी है, जिसके सेढ़ा सेढ़ खसरा नं. 06 है अतः प्रार्थीगण के खसरा नं. 06 हेतु खसरा नम्बर 33 में बिन्दु सी से डी अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है व खसरा नं. 02 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण के स्वंय के खातेदारी खेत खसरा संख्या 06 में बिन्दु डी से एफ रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है वर्तमान में उक्त रास्ता पर कोई वृक्ष व ढाणी अवस्थित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा बालीखेड़ा के खसरा नंबर 06 में आवागमन हेत खसरा सं. 33 में बिन्दु सी से डी व खसरा नम्बर 02 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण के स्वंय के खातेदारी खेत संख्या 06 में बिन्दु डी से एफ भू अभिलेख निरीक्षक पांचला द्वारा प्रस्तावित मौका जांच रिपोर्ट अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:07 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र [illegible] अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने [illegible] से स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार ग्राम बालीखेड़ा के खसरा संख्या 33 व खसरा संख्या 06 भूमि में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 33 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **23.05.2025** को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner